

दिल्ली
अधिकतम तापमान 35 डिग्री
न्यूनतम तापमान 29 डिग्री

एनसीआर
अधिकतम तापमान 34 डिग्री
न्यूनतम तापमान 28 डिग्री

शनिवार 26 जुलाई 2025
सूर्योदय प्रातः 05:38 बजे
सूर्यास्त सांय 19:18 बजे

एनसीआर टुडे

करंट न्यूज करंट व्यूज



पृष्ठ 4 जब गुनहगार छूटते हैं और पीड़ित रह जाते हैं ...

उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एक साथ प्रकाशित **वर्ष : 16 अंक : 281 गाजियाबाद, शनिवार 26 जुलाई 2025 मूल्य : ₹ 2 पेज : 06 विक्रमी संवत् 2081 युगाब्द 5126 शाक 1946**

कैनरा बैंक Canara Bank

SCAN & PAY

UPI ID: 30001262700246@cnrb

get online **www.ncrmasala.com**

ncr MASALA

India's Premium Masala

9410855900 ncrmasala@gmail.com

get online **www.ncrmasala.com**

गर्म मसाला, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा व अन्य रसोई मसाले

एनएचआरसी का युपी के पुलिस महानिदेशक को नोटिस

* एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कथित तौर पर पुलिस टाचर से तंग आकर एक व्यक्ति की आत्महत्या से संबंधित खबरों का संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। फर्रुखाबाद जिले में पुलिस के टाचर के बाद एक व्यक्ति ने इस माह 15 जुलाई को आत्महत्या कर ली थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उस व्यक्ति को उसकी पत्नी की शिकायत पर थाने बुलाया था। आयोग ने पाया है कि यदि खबर सत्य है, तो यह पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इस मामले में आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की बखित रिपोर्ट मांगी है। मीडिया की 16 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित अपने पिता के साथ समझौता करने थाने पहुंचा, लेकिन वहां उसे प्रताड़ित किया गया और मामले को निपटाने के लिए रश्वत की मांग की गई थी।

राजस्थान: स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत, 28 घायल

स्कूल में सुबह प्रार्थना के वक्त हुआ हादसा 28 छात्र हुए घायल, अस्पताल में इलाज जारी लोगों ने स्कूल की इमारत पर उठाए थे सवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए जांच के निर्देश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख

* वेवर्ता. झालावाड़ *

राजस्थान के झालावाड़ जिले में शुक्रवार को सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में सात छात्रों की मौत हो गई, जबकि 28 छात्र घायल हो गए। पीपलौदी गांव के सरकारी स्कूल में हादसा उस वक्त हुआ, जब छात्र सुबह की प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो रहे थे, तभी छठी और सातवीं कक्षा की छत भर-भराकर गिर गई।



घटना में चांदपुरा गांव की प्रियंका (12), पिपलौदी निवासी पायल (13) एवं मीना (10), पिपलौदी निवासी कांहा (09), कुन्दन (107), हरीश (11) एवं कार्तिक (08) शामिल हैं। घायलों में 12 विद्यार्थियों को सेटेलाइट अस्पताल अकलेरा एवं जिला अस्पताल झालावाड़ रेफर किया गया।

घटना के बाद मलबे का ढेर लग गया। घबराए हुए शिक्षक, अभिभावक और आपसपास के अन्य लोगों ने छात्रों को मलबे से बाहर निकाला। घायलों को झालावाड़ अस्पताल और मनोहरथाना स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे से गुस्सेए लोंगों ने आरोप लगाया कि स्कूल भवन की खराब हालत के बारे में कई बार तहसीलदार और उपखंड अधिकारी सूचित किया गया था, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की।

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि उन्होंने विभाग के उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर तुरंत पहुंचने और छात्रों का उचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, झालावाड़ के जिला कलेक्टर अजय सिंह के अनुसार, जिला प्रशासन ने हाल ही में शिक्षा विभाग को किसी भी जर्जर स्कूल भवन की जानकारी देने का निर्देश दिया था, लेकिन यह भवन सूची में शामिल नहीं था। इसकी जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने दिए जांच के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, 'झालावाड़ के पीपलौदी में स्कूल की छत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा दुःखद एवं हृदयविदारक है। घायल बच्चों का उपचार सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोककुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति दें।' राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री व्यक्त किया शोक : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, 'राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से कई छात्रों की मृत्यु और घायल होने का समाचार दुःखद है। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के साथ ही। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्राधिकारी पीड़ितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।'

न्यू अशोक नगर रैपिड स्टेशन पर कारगिल विजय दिवस स्मारक जौन का उद्घाटन



* एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *

26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनके शौर्य को सम्मानित किया।

इस अवसर पर एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने न्यू अशोक नगर स्थित नमो भारत स्टेशन पर एक विशेष "कारगिल विजय दिवस स्मारक जौन" का उद्घाटन किया। यह स्मारक जौन कारगिल युद्ध में विषम परिस्थितियों में लड़े गए अद्भुत सैन्य अभियानों और वीर जवानों के साहस को स्मरित करता है।

इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए कर्णाल विजयंत थापर के माता-पिता, तृप्ता थापर और कर्नल वी.एन. थापर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने अपने पुत्र के जीवन, उनके सेना में योगदान और बलिदान से जुड़े भावनात्मक संस्मरण साझा किए।

केप्टन विजयंत थापर द्वारा युद्ध से

विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का पहला सप्ताह

* एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *

संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तथा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया रोकने की मांग पर और विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया और राज्य सभा में सोमवार को एक विधेयक के पारित होने के अलावा दोनों सदनों में कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका।

राज्य सभा में विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने लगातार चौथे दिन शुक्रवार को भी बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया, बंगाली आत्रजकों के साथ विभिन्न राज्यों में भेदभाव और छत्तीसगढ़ में औद्योगीकरण का वन क्षेत्रों पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। इसके कारण सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और बाद में सोमवार तक स्थगित कर दी गयी।

मानसून सत्र के पहले सप्ताह में राज्यसभा में सोमवार को छोड़कर किसी भी दिन विधायी कामकाज नहीं हो सका तथा पूरा सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया।

राज्यसभा में पहले सप्ताह के बाद पीठासीन उप सभापति घनश्याम तिवारी ने 12 बजे प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करते हुए प्रश्न पूछने के लिए डॉ के लक्ष्मण का नाम पुकारा, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब देने के लिए खड़े होते ही विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी तेज कर दी। इस बीच, कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्य आसन के सामने आकर जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ता देख पीठासीन उप सभापति ने कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उप सभापति हरिवंश ने सुबह कार्यवाही शुरू होने पर प्रख्यात अभिनेता कमल हासन सहित चार नर्तनिकाओं सहित सांसदों को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलायी।

इस तरह मानसून सत्र के पहले सप्ताह में राज्य सभा में पहले दिन को छोड़कर किसी भी दिन कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका तथा बाद के चार दिन हंगामे की भेंट चढ़ गये। लोक सभा की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित कर दी गयी। अध्यक्ष और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। अध्यक्ष और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। अध्यक्ष और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी।

लोकसभा में गतिरोध खत्म हुआ, सोमवार से सदन में होगा कामकाज

* एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में एक सप्ताह से जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सभी दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलायी जिसमें गतिरोध को खत्म कर सोमवार से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बन गयी है।

लोकसभा सचिवालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार श्री बिरला ने सदन में गतिरोध समाप्त करने के लिए शुक्रवार को सभी दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलायी। इस बैठक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल के अलावा विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि बैठक में सोमवार से कामकाज सुचारू रूप से चलाने पर सभी विपक्षी दलों के साथ सहमति बन गयी है। इससे पहले आज लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा था कि वह सरकार की प्रतिनिधि को बुलाकर विपक्ष के सदस्यों के साथ वार्ता कर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सदस्यों को चर्चा के लिए आना होगा और जानबूझकर सदन में बाधा डालने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि गतिरोध दूर करने के लिए सभी को आपस में बात करनी होगी और सदन चलना चाहिए क्योंकि देश की 20-20 लाख की आबादी एक-एक सदस्य से अपने भविष्य की योजनाओं के लिए आस लगाई है और उन्हें उम्मीद रहती है।

दिल्ली पुलिस की महिला एसआई ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

दिल्ली पुलिस की महिला एसआई ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

पुलिस के अनुसार, शादी के बाद दंपति के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले पति से तलाक हो गया था, जिसे लेकर वह काफी परेशान रहती थी। महिला सब इंस्पेक्टर की आत्महत्या करने की असली वजह क्या है? इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। इस मामले में जांच टीम पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है।

बता दें कि इस साल मार्च में हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस के पूर्व सब इंस्पेक्टर ने खुद को लाइसेंस रीवाॅल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक की पहचान नरेंद्र छिकारा (54) के रूप में हुई थी। नरेंद्र छिकारा पहले दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में सेवाएं दे चुके थे। काफी समय पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया था। वे अपने परिवार से अलग रहते थे।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली पुलिस की एक महिला सब-इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह घटना नई दिल्ली स्थित रोहिणी सेक्टर-11 की है, जहां घर में महिला सब-इंस्पेक्टर का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस की टीम आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली पुलिस की महिला सब-इंस्पेक्टर ने घर में ही फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी। वह साल 2021 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी और साल 2024 में ही उसकी शादी हुई थी।



पुंछ नियंत्रण रेखा पर बारूदी में सुरंग विस्फोट सैन्यकर्मी की मौत, दो अन्य घायल


* वेवर्ता. पुंछ *

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में शुक्रवार को नियंत्रण रेखा पर एक बारूदी सुरंग विस्फोट में एक सैन्यकर्मी बलिदान हो गया और दो अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कृष्णा घाटी के सामान्य क्षेत्र में क्षेत्र प्रभुत्व गश्त के दौरान एक बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ, जिसमें एक अग्निवीर जवान बलिदान हो गया और दो अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों में से एक जेसीओ है, जिसे एक सैन्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है और उनकी हालत स्थिर है। व्हाइट नाइट कोर के जेसीओसी और सभी रैंक अधिकारियों ने अग्निवीर ललित कुमार को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने कृष्णा घाटी ब्रिगेड के सामान्य क्षेत्र में एक बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद क्षेत्र प्रभुत्व गश्त के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि हम दुःख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ हैं।

भारत की सहायता से बने मालदीव के रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया मोदी ने

* एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जु ने शुक्रवार को माले में भारत के सहयोग से बने मालदीव के अत्याधुनिक रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी मालदीव की दो दिन की यात्रा पर शुभ है वाले पहुंचे थे। यह ग्यारह मंजिला भवन हिंद महासागर के दृश्य के साथ दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग का प्रतीक है।



फर्जी राजदूत के मॉरीशस समेत 4 देशों में 11 बैंक खाते मिले, अंतरराष्ट्रीय दलाल से भी जुड़े तार

गाजियाबाद एजेंसी। गाजियाबाद के कविनगर में किराये की कोठी नंबर केबी-35 में अवैध रूप से दूतावास चलाने वाले फर्जी राजदूत हर्षवर्धन जैन के मॉरिशस समेत चार देशों में 11 बैंक खाते मिले हैं। उसके पास मिले दो पैन कार्ड के जरिये इन खातों की पहचान की गई। हर्षवर्धन जैन के दुबई में छह खाते, मॉरीशस में एक, यूके में तीन और भारत में एक बैंक खाता है। एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि इन खातों में की गई लेन-देन की जांच की जा रही है।

एसटीएफ की नोएडा यूनिट के एएसपी राजकुमार मिश्र ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय दलाल एहसान अली सैयद के साथ हर्षवर्धन का संपर्क मिला है। बैंक खातों में हुए लेन-देन, एहसान से सौलिसता और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए हर्षवर्धन को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। रिमांड पर लेने के लिए कविनगर पुलिस के साथ



मिलकर कार्रवाई की जा रही है। जांच में यह भी पता चला है कि डिंपल जैन के खाते से ही कोठी का किराया आ रहा था।

एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन की मुलाकात हथियारों के सौदागर सउदी निवासी अदनान खगोशी और लंदन रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। रिमांड पर लेने के लिए कविनगर पुलिस के साथ

गाजियाबाद में डिलीवरी बॉय बनकर आए लुटेरे, ज्वेलरी शोरूम से सोना-चांदी व कैश लूट

गाजियाबाद , एजेंसी। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय वेश में आए हथियारबंद बदमाशों ने गुरुवार को दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में घुसकर गन पॉइंट पर लाखों के गहने और नगदी लूट ली। लूटपाट की यह घटना ज्वेलरी शोरूम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

जहां सोनम रघुवंशी ने ली थी राजा की जान, वहां भाई ने कराई पूजा-पाठ

शिलॉन्ग, एजेंसी।

मेघालय में जिस स्थान पर दो महीने पहले इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की चीखें खुंजी थीं वहां गुरुवार को मंत्रोच्चार सुनाई दिए। पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज के तीन दोस्तों के हाथों मारे गए राजा रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए भाई ने घटनास्थल पर पूजा-पाठ कराया है। राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान 23 मई को हत्या कर दी गई थी।

ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा में वेइसाडोंग फॉल्स के निकट सुनसान पार्किंग स्थल पर राजा की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई थी और लाश खाई में फेंक दी गई थी। राजा के भाई विपिन ने घटनास्थल पर पहुंचकर विधि-विधान से अनुष्ठान कराया। मंत्रोच्चार के बीच राजा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

अनुष्ठान के बाद भावुक हुए विपिन ने कहा,हम उस स्थान पर आना चाहते थे जहां हमारे राजा ने अंतिम सांस ली थी। किसी भी परिवार को ऐसा नहीं करना पड़े, लेकिन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। विपिन ने कहा कि



उन्हें लगता है कि राजा की आत्मा अब भी भटक रही है और उसे मोक्ष दिलाने के लिए पहाड़ी पर ले गई। बादलों के बेहद करीब जंगलों से घिरे पहाड़ी पर सुनसान इलाका है।

चुनाव से पहले भाषा युद्ध की बात कर माहौल बनाने लगीं ममता बनर्जी

कोलकाता, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अब करीब 10 महीने का ही समय बचा है। आले साल अप्रैल-मई में राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं। इससे ठीक पहले उन्होंने बांग्ला भाषा का मसला उठाना तेज कर दिया है। देश के कई हिस्सों में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाए जाने को उन्होंने बंगालियों के उत्पीड़न से जोड़ दिया है। गुरुवार को कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अब हमें फिर से एक भाषा आंदोलन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों को बांग्लादेशी कहकर हिरासत में लिया जा रहा है। उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह स्थिति तो भाषाई आतंकवाद जैसी है।

इस तरह भाषा को मुद्दा बनाना और एक नए आंदोलन की बात से ममता बनर्जी ने संदेश दे दिया है कि वह चुनाव तक इस मसले को खींचने की तैयारी में हैं। पहले भी ममता बनर्जी चुनावों में बांग्ला कार्ड चलती रही हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का रुख एक बार फिर से उसी तरफ बढ़ता दिख रहा है। ममता दीदी ने कहा, बंगाली भाषा के खिलाफ जिस तरह का भाषायी आतंकवाद शुरू किया है, वह खतरनाक है। बंगाली भाषा दुनिया में 5वाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। देश में 30 करोड़ लोग बांग्लाभाषी हैं। फिर भी इन लोगों को जेल में डाला जा रहा है। हमें इसे स्वीकार नहीं कर सकते।



उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मेरी ही बात नहीं है बल्कि तमाम बांग्ला भाषी लोगों की है। इस तरह हम लोगों की भाषा पर हमला नहीं हो सकता। बंगाल हम लोगों के लिए सब कुछ है और हम अपनी जमीन बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषा के नाम पर किसी को हिरासत में रखे जाने को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दरअसल हाल ही में एनसीआर के गुरुग्राम में बांग्ला भाषी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। बता दें कि बांग्ला भाषी लोगों की आबादी बंगाल के अलावा बड़ी संख्या में असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी है।

दिल्ली

बैंक

जुड़े तार

साथ मिलकर विदेशों में कई कंपनियां रजिस्टर्ड कराईं। इनमें यूके की स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी यूके लिमिटेड, यूएई की आइसलैंड जनरल ट्रेडिंग कंपनी एलएलसी, मॉरीशस की इंदिरा ओवरसीज लिमिटेड और अफ्रीका के कैमरूम में केमरून इयात सालर् नाम की कंपनी चिन्हित हुई है।

हर्षवर्धन जिस कोठी में अवैध दूतावास चला रहा था, उसके मालिक समाजसेवी सुशील चौधरी हैं। उनका कहना है कि चार महीने पहले उन्होंने कोठी शहर के एक संभ्रांत व्यक्ति के कहने पर 80 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर दी थी। उनके साथ

कहा कि वह टॉयलेट के लिए घर जा रहे हैं। जब तक न लौटें, शोरूम का दरवाजा नहीं खोलना। साढ़े 3 बजे के करीब बाइक पर दो बदमाश आए और शोरूम में घुसकर एक ने शुभम की कमर पर पिस्टल लगा दी। विरोध करने पर उससे मारपीट की गई।

छत्तीसगढ़ में 66 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 27 महिलाएं भी शामिल

बस्तर, एजेंसी।

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में गुरुवार को 66 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने सरेंडर कर दिया। इनमें 27 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले 49 नक्सलियों पर कुल 2.27 करोड़ रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने बताया कि वे निर्दोष आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों और संघटन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेदों से निराश थे।

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 5 जिलों में गुरुवार को कुल 66 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीजापुर में 25, दत्तेवाड़ा में 15, कांकेर में 13, नारायणपुर में 8 और सुकमा में 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया। एक अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। नक्सली कुखली माओवादी विचारधारा, निर्दोष आदिवासियों पर नक्सलियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और प्रतिबंधित संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेदों से निराश थे। अधिकारी ने बताया कि नक्सली राज्य सरकार की नियाद नेल्लनार (आपका अच्छा गांव) योजना, नई सरेंडर और पुनर्वास



नीति और बस्तर रेंज पुलिस द्वारा शुरू की गई पुनर्वास पहल से प्रभावित थे। बीजापुर के एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि बीजापुर में सरेंडर करने वाले 25 नक्सलियों में से 23 पर कुल 1.15 करोड़ रुपए का इनाम था। इनमें ओडिशा राज्य समिति सदस्य और माओवादियों की विशेष क्षेत्रीय समिति के सदस्य रमन्ना इरपा पर 25 लाख रुपए का इनाम था। उनकी पत्नी और प्लाटून पार्टी समिति की सदस्य रमे कलमू पर 8 लाख रुपए का इनाम था। यादव ने बताया कि माओवादियों के विभिन्न समूहों में महत्वपूर्ण पदों पर सक्रिय

सुककु कलमू, बबलू माडवी, कोसी मडकम और रीना वंजाम पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। दत्तेवाड़ा के एसपी उदित पुष्कर ने बताया कि दत्तेवाड़ा में सरेंडर करने वाले 15 नक्सलियों में से 5 पर कुल 17 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले 15 नक्सलियों में संभागीय समिति सदस्य बुधराम उर्फ लालू कुहयाम और उसकी पत्नी कमली उर्फ मोती पोतावी शामिल हैं। दोनों पर क्रमशः 8 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम था। जिले में 254 इनामी नक्सलियों सहित 1020 नक्सली हिंसा छोड़ चुके हैं।

बलात्कार और हत्या का दोषी जेल से फरार, सौम्या मामले में कन्नूर कारागार में काट रहा था उम्रकैद

कन्नूर, एजेंसी।

केरल के कन्नूर में बलात्कार और हत्या मामले का दोषी जेल से फरार हो गया है। सौम्या नाम की महिला के रेप एंड मर्डर केस में गोविंदचामी को दोषी पाया गया। उसे उम्रकैद की सजा हुई, जो कन्नूर सेंट्रल जेल में बंद था। 1 फरवरी, 2011 को 23 वर्षीय सौम्या एर्नाकुलम के शोरनूर के लिए पैसेंजर ट्रेन से जा रही थी। गोविंदचामी ने उसके साथ बलात्कार किया और फिर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जेल तोड़कर दोषी वहां से फरार हुआ। पुलिस ने गोविंदचामी की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। कन्नूर को केरल के शोरनूर, इस मामले में अधिक जानकारी का इंतजार है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार तड़के गोविंदचामी की कोठरी की जांच के दौरान उसके लापता होने का पता चला। जेल अधिकारियों ने जेल परिसर और उसके आसपास तत्काल तलाश अभियान चलाया, लेकिन कैदी कहीं नहीं मिला। पुलिस को सतर्क कर दिया गया है और तलाश अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि, अब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कन्नूर टाउन पुलिस ने बताया कि कैदी के जेल से भागने की सूचना उसे सुबह 7 बजे मिली। 1 फरवरी 2011 को केरल के शोरनूर के पास मंजक्कड़ की 23 वर्षीय सौम्या के साथ एर्नाकुलम-शोरनूर यात्री ट्रेन (नंबर 56608) में भयावह घटना घटी। सौम्या एर्नाकुलम में नौकरी करती थी और छुट्टियों में अपने घर शोरनूर जा रही थी। वह अकेली थी। इस दौरान गोविंदचामी नाम के अपराधी ने सौम्या को वल्लथोल नगर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गई। इसके बाद, उसने बलात्कार किया और हत्या कर दी।

नगर पालिका में रमेश इतवारी का आकस्मिक निधन पर ,चेयरमैनो के अध्यक्ष शोख शाहनवाज खलील व समस्त स्टाफ ने जताया शोक

✽ एनसीआर टुडे. नगीना ✽। पालिका परिषद के बिट्टू जमादार के ताऊ रमेश इतवारी का आकस्मिक निधन हो गया। जिससे पूरे पालिका परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। नगर पालिका परिषद के सभी कर्मचारियों ने शोक सभा की। ईश्वर से प्रार्थना की गई कि ईश्वर रमेश इतवारी की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। उनके शोकाकुल परिवार को इस दारुण दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। इस शोक सभा में नगर पालिका परिषद नगीना के चेयरपर्सन ताहिरा खलील के बड़े बेटे शाहनवाज खलील तथा समशत स्टाफ मौजूद रहा।

ट्रेन से कटकर व्यक्ति ने क्री आत्महत्या

✽ एनसीआर टुडे. स्योहारा ✽। स्योहारा रेलवे क्रॉसिंग के पास जननाकक एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 55 वर्षीय महेंद्र पुत्र मगु सिंह, निवासी रवाना शिकारपुर ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीओए और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रेलवे ट्रैक को बिल्टर कर यातायात बहाल कर दिया गया है। मौके पर कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त कर ली

✽ एनसीआर टुडे. अफजलगढ़ ✽। 125 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक देहरादून में रहकर ढाई वर्षों से मजदूरी का काम करता था। बुधवार की बीती रात देहरादून से अपने घर पहुंचे मृतक शौकीन अहमद ने घर में लगे छत का पंखा को उतारकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सीओ अफजलगढ़ राजेश सिंह सोलंकी व थानाध्यक्ष सुमित राठी ने परिजनों से घटना की जानकारी ली। मृतक का नाम शौकीन माहीगीर उम्र 25 वर्षीय पुत्र मरहूम अब्दुल हमीद निवासी मौहल्ला चुरंजीलाल बताया जाता है। आत्म हत्या के पीछे के कारणों का अभी तक कोई सही पता नहीं चल पाया है। तरह-तरह की चर्चाओ का बाजार भी गर्म बना हुआ है।

लाइनमैन को पिकअप ने मेरी साइड गंभीर रूप से घायल

✽ एनसीआर टुडे. अफजलगढ़ ✽। राजकुमार पुत्र जागन सिंह निवासी आलमपुर गांवड़ी थाना अफजलगढ़ जो की एक विद्युत विभाग में लाइनमैन का कार्य करता है।आज वह बिजली का तार सही करने के लिए गुरुद्वारा से आगे जा रहा था। अचानक सामने से पिकअप वाले ने साइड मार दी। जिससे राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। राह गिरों की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुए है। डॉक्टर ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।

इनर व्हील क्लब ने गौशाला में पशुओं के लिए दी धनराशि

✽ एनसीआर टुडे. हल्द्वार ✽। सामाजिक संस्था इनरव्हील क्लब द्वारा नगर की गौशाला में पशुओं के चारे के लिए ग्यारह सौ रुपए की धनराशि दान स्वरूप प्रदान की गई। इस अवसर पर क्लब की सदस्यों द्वारा गौशाला संचालकों को गौरसंरक्षण हेतु हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया। क्लब अध्यक्ष श्वेता शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने गायों को चारा खिलाया और गौ सेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर क्लब सचिव निधि राजपुत, डा रितिका शर्मा, सुनयना वर्मा, आरारथा शर्मा आदि उपस्थित रही।

संगिदध युवक को पकड़ कर पुलिस को सोपा

✽ एनसीआर टुडे. नहटौर ✽। कमालपुर लिंक रोड पर राहगीरों को रात को गांव कमालपुर से पांच सौ मीटर की दूरी पर सदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। राहगीरों ने मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी। जिस पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया तथा उसे ड्रोन उड़ाने वाला समझकर उससे पूछताछ की। लेकिन ग्रामीणों को उसकी भाषा समझ नहीं आई। इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी वीडियो शेरय किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी तथा पकड़े गए युवक को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि युवक देखने में नेपाली लग रहा था। वह मनोरोगी था।

गुरुग्राम में रहने का असली मजा.. पूर्व सेना अफसर ने कचरे के ढेर के लिए कसा तंज

गुरुग्राम , एजेंसी।

हरियाणा का गुरुग्राम शहर अपनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन मिलेनियम सिटी इन दिनों अपने कचरे के ढेरों की वजह से सुर्खियों में है। एक सेना के पूर्व सैनिक यशपाल सिंह मोर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें शहर की ऊंची-ऊंची इमारतों के ठीक बगल में कचरे का ढेर और उसमें घूमते गाय-कुत्तों का मंजर दिखा। यह वीडियो देखकर नेटिजन्स का गुस्सा फूट पड़ा।

यशपाल ने तंज कसते हुए लिखा, गुरुग्राम में रहने का असली मजा। भारत का सबसे पशु और कचरा-प्रिय शहर। शहर के किसी भी कोने में ऐसी शानदार नजारा देखने को मिल जाएगा। हमारी नगरपालिका ने कमाल कर दिया, कोई और शहर ऐसा नहीं कर सकता। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तंज और गुस्से की बाढ़ आ गई। एक

यूजर ने व्यंग्य करते हुए लिखा, ये है हमारा मॉडल। हमारे शहर पशुओं के लिए इतना चारा देते हैं कि वो कभी भूखे नहीं रहते। कितना मानवीय और दयालु है ना। एक अन्य ने चुटकी ली, गुरुग्राम तो खुले इकोसिस्टम की नई मिसाल कायम कर रहा है। वहीं, कुछ यूजर्स ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, शहर का हर कोना ऐसा ही है। कचरा प्रबंधन की हालत इतनी खराब है कि शब्द भी कम पड़ जाएं।

गुरुग्राम में कचरे की समस्या को लेकर लंबे समय से हाहाकार मचा हुआ है। महीनों के विरोध और शिकायतों के बाद, अब नगर निगम ने कमर कस ली है। एमसीजी आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया, शहर ने काफी इंतजार किया, अब हम पूरी ताकत से काम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 402 करोड़ रुपये का डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण टेंडर जारी किया जा रहा है।

कानपुर, एजेंसी।

यूपी के कानपुर मे पक्षियों को तस्करी करके लाया और बेचा जा रहा है। कानपुर में चिड़ीमार लव बर्ड्स बेचकर प्रेमी जोड़ों का भाग्य जगा रहे थे, लेकिन अपने ही भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सके। इसकी जानकारी किसी ने वन विभाग को दे दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने चिड़ीमारों के दर पर छापेमारी कर दी। इस दौरान सात जोड़े लव बर्ड्स के अलावा बड़ी संख्या में पक्षी बरामद हुए। प्रथमदृष्टया सभी पक्षी प्रतिबंधित बताए जा रहे हैं।

लव बर्ड्स पक्षियों की तस्करी भाग्य जगाने के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है। एक जोड़ा लव बर्ड्स की कीमत 5 से 10000 रुपये ग्राहक देखकर लगाई जाती है। किंवदंतियां हैं कि लव बर्ड्स पालने से घर में खुशहाली आती है। जिनकी शादी में



देरी होती है, उनके लिए भी लव बर्ड्स को फलदायक माना जाता है। यही वजह है कि

चिड़ीमार लव बर्ड्स का बड़ा गोरखधंधा फैलाए हुए है।



बदमाशों ने बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों के गहने चुराए

★ **एनसीआर टुडे, गाजियाबाद** ★ मुरादनगर स्थित लक्ष्मी एन्क्लेव कॉलोनी में बदमाशों ने बंद एक मकान का ताला तोड़कर दो लाख रुपये नगद और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के दौरान पूरा परिवार अपने पैतृक गांव गया हुआ था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लक्ष्मी एन्क्लेव कॉलोनी में नरेशपाल सिंह अपने परिवार के साथ रहे हैं। नरेश पाल ने बताया कि वे 17 जुलाई को अपने पूरे परिवार के साथ अपने पैतृक गांव गए थे। वे जब 20 जुलाई को घर वापस आए तो घर के मैन गेट का ताला टूटा हुआ था। भीतर कमरे में जाकर देखने पर कमरे में रखी अलमारी का भी ताला टूटा हुआ था। नरेशपाल ने बताया कि बदमाशों ने मकान व कमरों का ताला तोड़कर अलमारी में रखे दो लाख रुपये नगद व लाखों के सोने व चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। इसके बाद पीड़ित ने मुरादनगर थाने में तहरीर दी।

डंपर की टक्कर से बाइक चालक घायल

★ **एनसीआर टुडे, गाजियाबाद** ★ 1. निडौली गांव में रहने वाले जाबिर ने बताया कि 23 जुलाई उनका भाई सुहेल, मुर्शफ और महाबा नवासी गांव निडौरी मोस्टसाइकिल से गांव नाहल जा रहे थे। गांव समयपुर मोड़ के पास नाहल की ओर से तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उनके भाई सुहेल का पैर टूट गया है। वहीं, मुर्शफ और महाबा भी घायल हो गए। पीड़ित के भाई ने मामले में तहरीर दी है।

गली में खड़ी बाइक गिराई, विरोध करने पर मारपीट

★ **एनसीआर टुडे, गाजियाबाद** ★ 1. लोनी थाना की राम विहार कालोनी में मंगलवार दोपहर मकान का निर्माण कार्य करा रहे व्यक्ति के साथ चार लोगों ने मारपीट की। व्यक्ति ने उनकी बाइक गिरा दी। उन्होंने गली में मौजूद लोगों से बाइक के गिरने का कारण पूछा। गली में मौजूद सौरभ, गौरव, कर्मवीर और कुष्णपाल ने गली गलौज कर उनके साथ मारपीट की। जिससे उनकी पैर में काफी चोट आई है। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से किये जाने की बात कही तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की।

बदमाश महिला को झांस में लेकर जेवर और मोबाइल लेकर भागे

★ **एनसीआर टुडे, गाजियाबाद** ★ 1. मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर राजचौपला के पास बदमाश ने महिला को झांस में लेकर जेवर और मोबाइल पार कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। निवाड़ी निवासी अनीता की कई दिन से तबीयत खराब चल रही थी। महिला का मोदीनगर के ही एक अस्पताल से इलाज चल रहा है। महिला गुरुवार को अस्पताल दवा लेने आई थी। इस दौरान राशते में ही दो लोग मिले और उससे राशता पकड़ने के बहाने अपनी बातों में फंसाए लगे। आरोप है कि उन्होंने महिला से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। इसपर महिला ने बताया कि उन्हें पैरों में दर्द रहता है। इसपर आरोपियों ने कहा कि वे उनका उपचार करा देंगे। इसके बाद आरोपियों ने महिला से जेवर उतारवा लिया और कहा कि जेवर और मोबाइल को परत व राशता और कफन के लिए जेवर और मोबाइल को परत व राशता और कफन के लिए कहा। इसके बाद बातों ही बातों में आरोपियों ने महिला से पर्स व लॉक और फरार हो गए। महिला ने शोर मचाया लेकिन तब तक वे भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में बदमाश नजर आ रहे हैं।

एमएमजी अस्पताल के सामने से बलियां हटने से राहत

★ **एनसीआर टुडे, गाजियाबाद** ★ 1. एमएमजी अस्पताल के सामने लगी बलियों को शुरूवार को हटा लिया गया। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों को राहत मिली। साथ ही अस्पताल के सामने लगे वाले जाम से भी शुरुवार को राहत मिल गई। शिवराज को लेकर पुलिस प्रशासन ने मॉडरि से लेकर अस्पताल के आगे तक बैरिकेड कर दी थी। इससे वाहनों के आवागमन के साथ मरीजों के अस्पताल आने में भी दिक्कत हो रही थी। बलियों की बैरिकेड को अस्पताल से मॉडरि के पास तक हटा लिया गया है। सीएमएस डा. राकेश कुमार का कहना है कि बलियां हटने से अस्पताल आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी।

ऑटो में सवार छात्रा से बाइक सवार ने मोबाइल छीना

★ **एनसीआर टुडे, गाजियाबाद** ★ 1. टीला मोड़ थाना क्षेत्र में कोयल एन्क्लेव के पास ऑटो में सवार एक छात्रा से बाइक सवार युवक ने गुरुवार शाम को मोबाइल फोन छीन लिया। शुरु मचाने पर आरोपी फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोनी के बलराम नगर निवासी मोहिनी वर्मा दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। उन्होंने बताया कि बीती गुरुवार शाम वह कॉलेज से ऑटो में सवार होकर अपने घर लौट रही थीं। कोयल एन्क्लेव के पास पीछे से आए बाइक सवार ने झपट्टा मारकर उनका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। मोबाइल के कवर में कॉलेज का आईडी कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज भी रखे थे। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

मारपीट का विरोध किया तो व्यक्ति पर जानेला हमला

★ **एनसीआर टुडे, गाजियाबाद** ★ 1. मुरादनगर के डिडौली गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने बेटे और भतीजे के साथ मारपीट का विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गांव डिडौली निवासी सुधीर त्यागी ने बताया कि 20

आढ़ती ने खुद को गोली मारकर कर आत्महत्या

★ **एनसीआर टुडे, गाजियाबाद** ★

दिल्ली सीमा से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित साहिबाबाद मंडी में 62 वर्षीय आढ़ती पप्प राघव ने आज अपने घर में खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली।

परिवार का आरोप है कि मंडी में उसके साथी उसे लगातार धमकी दे रहे थे, जिसकी शिकायत थाना लिंक रोड पुलिस से कई लेकिन पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता नहीं लिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें मृतक ने उसमें अपने कुछ साथियों पर मानसिक और आर्थिक दबाव डालने का आरोप लगाया है।

पुलिस के अनुसार पप्प राघव का कुछ लोगों के साथ रुपये के लोनदेन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद के कारण वे गहरे मानसिक तनाव में थे। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने साथियों पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न की बात शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी थाना पुलिस ने शोर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मसूरी थाना प्रभारी ने बताया कि सुसाइड नोट में उल्लिखित व्यक्तियों से पृष्ठछा



शुरू कर दी गई है। साथ ही, लेनदेन के विवाद और लाइसेंस रिवॉल्वर की वैधता की भी गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।

मृतक के परिजनों ने बताया कि पप्प राघव ने दो महीने पहले लिंक रोड पुलिस थाने में अपने साथियों द्वारा धमकियों और विवाद के शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कोई कार्रवाई नहीं की।

परिजनों का दावा है कि पुलिस को इस नोट में उल्लिखित व्यक्तियों से पृष्ठछा



चले गए, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया।

पीड़िता की पावती रसीद देखकर पुलिस ने अपने कर्तव्य की इतिश्री

★ **एनसीआर टुडे, गांवपुर** ★

दर्जन महिला पुरुषों द्वारा घर में घुसकर दंपति के साथ मारपीट करने, घर में रखा सामान तोड़ने, एवं मोबाइल छीन कर ले जाने वाले

मामलों में स्थानीय पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पावती रसीद काटकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी है। पुलिस की इस कार्य शैली से जहां एक ओर आरोपियों के हौंसले बुलंद हैं। वहीं दूसरी ओर पीड़ित भी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उक्त मामला सम्पत्ति को लेकर विवाद बनाया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला मुफ्ती सराय निवासी शदानमी पत्नी अनीस अहमद का कहना है कि 23 जुलाई को मोहल्ले के ही अमीर पुत्र अयूब, उसकी पत्नी बेटी तथा अंजुम आदि दर्जन महिला पुरुष दिन मजहर, आदिल आदि चारों महिला पुरुष दिन के लगभग 11 बजे हमारे घर में घुस आये। मेरे तथा मेरे पति के साथ गाली गलौच को मारपीट करने लगे।

इतना ही नहीं इन सभी ने मिलकर हमें हमारे घर से भी निकाल बाहर करने की कोशिश की।

परंतु हमारे द्वारा शोर मचाने और हंगामा होता देख आसपास के लोग आ गए। जिन्हें देख कर यह सभी मुझे और मेरे चले को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपी जाते हुए उसका मोबाइल फोन भी ले गए हैं।

पीड़िता का आरोप है कि उस की तहरीर पर थाना कोतवाली महिला पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच न कर के पीड़ित महिला को

शिकायत पावती रसीद बनाकर दे दी है। अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है पुलिस की इस कार्य प्रणाली जहां एक ओर आरोपियों के हौंसले बुलंद है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

बातया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों पक्षों के बीच मकान एवं जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जो न्यायालय में विचारधीन है विवादित आरजा पर एएजी पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है। जबकि स्थानीय पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत सुन ली गई है। पीड़ित को पावती काटकर भी दे दी गई है। उसपर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है जिसका निशतारण पांच दिन के भीतर करदिया जाएगा।

खैर से भरी पिकप चालक तमंचा सहित जिंदा कारतूस के साथ चालक को भेजा जेल

★ **एनसीआर टुडे, बदायुन** ★

साहवाला रेंज में 5 दिन पूर्व वन माफियाओं द्वारा वन कर्मियों पर फायरिंग और मारपीट करके खैर की लकड़ियों से भरी जिस पिकअप को छीन लिया गया था। बदायुन पुलिस ने लकड़ियों से भरी उस पिकअप वाहन को बरामद करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है।

वन विभाग की ओर से 10 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराए गए मुकदमे में अब तक पुलिस तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जाता है कि बीते रविवार की रात्रि जब साहवाला रेंज के वनकर्मी गायत पर थे तब मधपुरी क्षेत्र में उन्हें खैर की लकड़ियों से भरी एक महिंद्रा पिकअप आई हुई दिखाई दी। वन कर्मियों द्वारा वन पिकअप को



रोकने का प्रयास किया गया था तब वन माफियाओं द्वारा वन कर्मियों पर फायरिंग किए गए थे। इसके बाद वन कर्मियों ने अपनी जान पर खेल कर पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया था। पिकअप पकड़ने से शुकुब होकर वन माफियाओं ने सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों को मौके पर बुला लिया था। सैकड़ों की संख्या में उन्हें पिकअप आई हुई दिखाई दी। वन कर्मियों द्वारा वन पिकअप को

रोकने का प्रयास किया गया था तब वन माफियाओं द्वारा वन कर्मियों पर फायरिंग किए गए थे। इसके बाद वन कर्मियों ने अपनी जान पर खेल कर पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया था। पिकअप पकड़ने से शुकुब होकर वन माफियाओं ने सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों को मौके पर बुला लिया था। सैकड़ों की संख्या में उन्हें पिकअप आई हुई दिखाई दी। वन कर्मियों द्वारा वन पिकअप को

वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस विधि विभाग संयोजक मनोनीत

★ **एनसीआर टुडे, नगीना** ★

विधि विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ अधिवक्ता नतिन मिश्रा के एम.ओ.ए. पर जिला चेरमैन प्रशांत कुमार गोयल ने सिविल कोर्ट नगीना के वरिष्ठ अधिवक्ता जहीर अहमद खान को संगठन का जिला संयोजक मनोनीत किया है। उनके मनोनयन पर अधिवक्ताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक सादे समारोह में उन्हें मुबारकबाद पेश की। नगीना कोर्ट में नकातल करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता जहीर अहमद खान अफजलनाइद के मोहल्ला गौहरअली खा के रहने वाले है और लंबे समय से कांग्रेस के प्रति समर्पित व सक्रिय है उनकी पार्टी व संगठन के प्रति लगन व मेहनत को देखते हुए विधि विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बिजनौर जिला चेरमैन प्रशांत कुमार गोयल एडवोकेट ने नगीना

वरिष्ठ अधिवक्ता जहीर अहमद खान को सिविल विभाग का जिला संयोजक मनोनीत किया और संगठन के प्रदेश चेरमैन नतिन मिश्रा द्वारा अनुमोदित मनोनयन पत्र उन्हें दिया। इस अवसर पर उनके साथ उच्च न्यायालय के बिजनौर के कोषाध्यक्ष मौ.आरिफ खान एड. व विधि विभाग के जिला सह संयोजक व बदायुन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फरीद अहमद खान एडवोकेट भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मसलाउद्दीन खान कुशलपाल सिंह, मुख्तार अहमद, अरशद जावेद, मौ. शफीक, शहाब अहमद, जसीम उस्मान, सरफराही, आदाल अहमद आदि अधिवक्ताओं ने जिला चेरमैन प्रशांत कुमार गोयल का स्वागत किया और वनमनोनीत जिला संयोजक जहीर अहमद खान को मुबारकबाद दी और उनसे आशा व्यक्त की कि वह अधिवक्ताओं के हित व पार्टी संगठन को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करेंगे।

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, टीएसआई ने छात्र नेता से की बर्बरलुकी

★ **एनसीआर टुडे, बिजनौर** ★ सुबह एक टीएसआई और एबीवीपी के विभाग संयोजक के बीच विवाद के बाद सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए। बैराज कॉलोनी बाईपास पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने समकर गोरबाजी की और सड़क जाम कर दी। मामला बैराज कॉलोनी चौक का है, जहां एबीवीपी के विभाग संयोजक हि नंद अहलावती की टीएसआई रवि नैन से बहस हुई। हनी का कहना है कि वह अपनी बाइक से ब्रेड लेने जा रहे थे। टीएसआई ने उन्हें रोक लिया। हनी ने बताया कि वह पास में ही रहते हैं और सिर्फ दुकान से सामान लेने गए थे।

उत्तर रेलवे			
इलेक्ट्रॉनिक निगम ई प्रणाली के अंतर्गत मर्दों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण			
भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख मूल्या सामग्री प्रवचक उत्तर रेलवे नई दिल्ली - 110001 भारत इच्छक फर्मों से निम्नलिखित मर्दों के लिए - निविदा आमंत्रित की जाती है:-			
क्र.सं.	निविदा सं.	संक्षिप्त विवरण	आरंभ तिथि
1.	82251030A	TDM-1 (एबी-ईस्ट्रुनुमाव एफ्टासिन) इंडोहरान 100 मि.ग्र।	264 Nos 18.08.2025
2.	82251026A	परदुजूमि इंजेक्शन 420 मिलीग्राम	125 Nos 18.08.2025
निविदा शर्तें : 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानि www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 2. मनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी। टेंडर नोटिस सं. इंजेक्शन और दर्पण दिनांक: 25.07.2025 22/08/2025			
आहर्कों की सेवा में मुस्कान के साथ			

सरफा से 20 लाख के जेवरों की लूट

ऑनलाइन डिलिवरी एजेंट के भेष में घुसे थे दो बदमाश



★ **एनसीआर टुडे, गाजियाबाद** ★

दिल्ली सीमा से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित बूज विहार इलाके में दिनदहाड़े आभूषणों की एक दुकान में खुद को ऑनलाइन डिलिवरी एजेंट बताकर घुसे दो सशस्त्र व्यक्ति ने 20 किलोग्राम चांदी और 125 ग्राम सोने के आभूषण लूट लिए जिनकी कीमत 20 लाख रुपये से अधिक है। पुलिस के शुरुकार को यह जानकारी दी। यह घटना बृहस्पतिवार को लिंक रोड पुलिस थाना अंतर्गत 'मानसी ज्वेलर्स' में घटी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलंस की मदद से संदिग्धों की पहचान करने के लिए कई टीमों गठित की हैं। पुलिस उपायुक्त (ट्रांस हिंडन) निमिश पाटिल ने कहा, "दो अज्ञात बदमाशों ने मानसी ज्वेलर्स के स्टोर से 30 लाख रुपये से अधिक मूल्य के

आभूषण लूटे हैं। उन्होंने बिल्कडट और स्विगी कंपनी की वर्दी पहनी रखी थी जिससे कोई उन पर शक ना करे। हमने इस मामले की जांच के लिए छह टीमों गठित की हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।"

सोशल मीडिया पर आए सीसीटीवी फुटेज में हथियारबंद दो व्यक्ति स्टोर में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को धक्का देते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति ने पीले रंग की बिल्कडट की टी-शर्ट पहन, एक हेलमेट और नकाब पहन रखी है, जबकि उसका साथी नारंगी रंग के दिवांगी दे यूनिफॉर्म में हेलमेट के साथ दिखाई दे रहे हैं। स्टोर में घुसने पर उनका सामना स्टोर के कर्मचारी से होता है जिसके वरिष्ठ ने पीटते हैं और बंदूक दिखा के मारते हैं उसे सहयोग करने के लिए मजबूर करते हैं। इस तरह से उन्होंने लूट का अंजाम दिया।


निजी अस्पताल में नवविवाहिता की गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत मौत

अस्पताल के चिकित्सक ने जानकारी देने से किया इनकार

★ **एनसीआर टुडे, धामपुर** ★

नगीना मार्ग स्थित एक निजी अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। मृतका तीन माह की गर्भवती बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक ने महिला को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मौत हो गई।

अफजलगढ़ के मोहल्ला जैनुला अबदीन निवासी नसीम अहमद ने अपनी बेटी गुलशन जहां 28 वर्ष की लागम आठ महीने पहले शेरकोट के मोहल्ला कायस्थान की निवासी फरमान पुत्र एहसान खां के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार शादी



की थी। गुलशन जहां तीन माह की गर्भवती बताई गईं। मृतका के पति परमान ने बताया कि आज सुबह उसकी पत्नी गुलशन दवाई लेने अपनी जैतानी रखसाना के साथ दवाई लेने धामपुर अस्पताल में गई थीं। दोपहर को लगभग एक बजे उसकी आभी का फोन आया। उसने बताया कि

उसकी पत्नी गुलशन की तबीयत ज्यादा खराब है। इतना सुनकर मैं काम छोड़कर सीधा अस्पताल पहुंचा, जहां पता लगा कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है। उसका का कहना है जब उसने अपनी भाभी से पूछा तो पता लग ड़ाकर ने उसकी पत्नी को इंजेक्शन लगाया। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगाने ही महिला जोर-जोर से चिल्लाने लगी और चंद मिनटों में ही उसने दम तोड़ दिया।

महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। उधर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश चौहान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

आदमखोर गुलदार ने 11 साल की मासूम को बनाया निवाला

★ **एनसीआर टुडे, नहटौर** ★

क्षेत्र के गांव मंडोरी में बीती रात आदमखोर गुलदार ने 11 वर्षीय मासूम बच्ची को उठा लिया और मौत के घाट उतार दिया। बुधवार शाम 7 बजे के आसपास बच्ची घर के पास शोर मचाने की आसपास बच्ची को

लेकिन देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। पंजों के खेतों में खूंट के धब्बे और गुलदार के पांसों के निशान मिलने से अनहोनी की आशंका गहराने लगी। शव गन्ने के खेत में मिला, गर्दन और हाथ गायब थे। गुरुवार सुबह गांव के ही गन्ने के खेत में बच्ची का शव-विशत शव मिला। शरीर की हालत इतनी भयावह थी कि जिसने भी देखा, उसको रूह कांप उठी। गुलदार ने बच्ची की गर्दन और एक हाथ खा डाला था। ये दोनों अंग शव से करीब 10 मीटर दूर पड़े मिले। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार ने बेहद क्रूरता से मासूम को नीच-नोचकर मार डाला। पूरी रात जंगल में की गई तलाश भारी की पहचान कनिका (11), पुत्री रवि कुमार के

रूप में हुई है। वह बुधवार शाम करीब 7 बजे घर के पास शोर मचाने के लिए आई थी। उसी समय घात लगाए गुलदार ने उसे अपना शिकार बना लिया। बच्ची के न लौटने पर परिवार और ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर जंगल और खेतों में उसकी पूरी रात तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। गुलदार की तलाश में जुटा बन विभाग, उड़ाया ड्रोन सुबह जब शव मिला, तो गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहीं, वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए गन्ने के खेतों और जंगल क्षेत्र में ग्रीन कैमरे से निगरानी शुरू कर दी है। ग्रामीणों की मानें तो

यह गुलदार अब तक 30 से अधिक लोगों को शिकार बना चुका है। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। स्कूलों में उपस्थिति बेहद कम देखी गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से आदमखोर गुलदार को तुरंत पकड़ने की मांग की है ताकि भविष्य में किसी और मासूम की जान न जाए।

उत्तर रेलवे					
खुली निविदा सूचना					
भारत के राष्ट्रपति की ओर से, मंडल अभियंता / सैन्य, मंडल रेल प्रवचक कार्यालय उत्तर रेलवे, नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्य के लिए - निविदा आमंत्रित की जाती है।					
क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	घरोहर राशि	समापन अवधि	निविदा खुलने की तिथि
	वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/समन्वय/ डीलरिआई के अधीन दिल्ली मंडल के विभिन्न याकों में रिस या किसी अन्य अनुमोदित विधि का उपयोग करके पीएससी स्टीपरों पर जब /टूटी/ जंग लगी प्लेट/रेल स्क्रू का नवीनीकरण।	रु. 23818500/-	रु. 2,69100/-	12- माह.	19.08.2025
	दिल्ली मंडल में विभिन्न आर्यूवी/एलएएस/सबवे पर जलमयंत्रण के बचने के लिए स्वचालित पम्पिंग व्यवस्था, ऑटो अलर्ट और ऑटो स्टाइडिंग रूस के साथ स्वचालित जल निकासी प्रणाली।	रु. 9735000/-	रु. 1,94,700/-		03- माह, 19.08.2025
सूचना: निविदा रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है तथा इसी वेबसाइट पर 19.08.2025 15:00 बजे तक ही भरी जाएगी। पत्र सं.-128-इन्क्यू/व.मं.अधि./सं/निविदा-09/ए.बी./25-26-इन्क्यूसी दिनांक-24.07.2025 2260/2025					
आहर्कों की सेवा में मुस्कान के साथ					

संपादकीय

न्यायालय की चेतावनी और समाज का आईना

‘लव जिहाद’-एक ऐसा शब्द जो न तो भारतीय क़ानून में परिभाषित है, न संविधान में मान्यता प्राप्त, लेकिन फिर भी राजनीतिक मंचों, टीवी डिबेट्स और सड़कों पर सुनाई देने लगा है। अब यह बहस हरियाणा तक भी पहुँच चुकी है, और अदालतों तक भी।

हाल ही में हरियाणा के एक चर्चित केस में अदालत ने स्पष्ट कहा- “हरियाणा में लव जिहाद नामक आंदोलन चल रहा है, जबकि यह शब्द किसी भी वैधानिक दस्तावेज़ में मान्यता प्राप्त नहीं।” इस एक टिप्पणी ने हमें आईना दिखा दिया कि कैसे हम एक ऐसी अवधारणा के पीछे दौड़ रहे हैं, जिसकी जड़ें सच्चाई में कम और सियासत में अधिक गहराई से जुड़ी हैं। कोर्ट ने कहा कि समाज में ‘लव जिहाद’ के नाम पर एक तरह का भावनात्मक आंदोलन शुरू हो गया है, जिसमें तथ्यों और साक्ष्यों को ताल पर रखकर केवल आरोपों के आधार पर पूरे समुदायों को क़टघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यह टिप्पणी एक ऐसे केस में आई जहाँ एक युवती ने एक मुस्लिम युवक पर धोखे से शादी का झंसा देकर यौन संबंध बनाए का आरोप लगाया था। मामला बेदद संवेदनशील था क्योंकि युवती नानालिंग थी, और लड़के पर धर्म बदलवाने के लिए दबाव डालने का आरोप भी लगा। लेकिन कोर्ट ने पूरी गवाहियों और तथ्यों के विश्लेषण के बाद पाया कि आरोपों और वास्तविकता में बड़ा अंतर था। अदालत ने यह भी साफ़ किया कि किसी रिश्ते के टूटने या उसमें धोखे की संभावना को धार्मिक षड्यंत्र में बदल देना न केवल न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी घातक है।

यह शब्द सहीतः कुछ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा प्रचारित किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि मुस्लिम युवक योजनाबद्ध रूप से हिन्दू लड़कियों को प्रेमजाल में फँसाकर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। हालाँकि, अब तक न तो कोई राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA), न ही कोई न्यायालय इस शब्द को सिद्ध कर पाया है। यह केवल एक भावनात्मक, धार्मिक और सांप्रदायिक डर की उपज है, जिसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है।

फिर भी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में इस शब्द के आधार पर विशेष कानून बनाए गए हैं, जो विवाह के नाम पर धर्मांतरण को अपराध घोषित करते हैं। लेकिन इन कानूनों की आलोचना भी होती है क्योंकि अक्सर इन्हें प्रेम-विवाहों और अंतरधार्मिक संबंधों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। समाज की विडंबना देखिए-जहाँ दूसरी ओर हम लव मैरिज, सैक्युलरिज्म, स्वतंत्रता की बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर जब दो अलग धर्मों के युवक-युवती प्रेम करें, तो उन्हें शक की नजर से देखा जाता है।

क्या प्रेम को मजहब के चरम से देखना सही है?

क्या हर मुस्लिम लड़का जो हिन्दू लड़की से प्रेम करे, वह ‘जिहाद’ कर रहा है?

क्या हम इतने असहिष्णु हो गए हैं कि अब प्रेम भी जाति, धर्म और पंथ का गुलाम हो गया है?

‘लव जिहाद’ जैसे शब्द मीडिया के लिए मसाला हैं और राजनेताओं के लिए हथियार। टीवी चैनलों की बहसें इस मुद्दे पर गर्म रहती हैं, लेकिन कोई भी यह सवाल नहीं करता कि आखिर इस शब्द की वैधानिक स्थिति क्या है। राजनीतिक मंचों पर उभरे ‘हिन्दू अहिंसा’ का मामला बनाकर भूनाया जाता है। जनता को डराया जाता है कि उनके घरों की बहूएँ-बेटियाँ टारगेट हो रही हैं, और धर्म खतरे में है।

जबकि सच यह है कि ज़्यादातर केस में ऐसे संबंध सहमति पर आधारित होते हैं-और यदि कोई धोखा होता भी है, तो उसे व्यक्तिगत अपराध की तरह देखना चाहिए, न कि धार्मिक युद्ध की तरह।

हमें यह समझना होगा कि किसी भी प्रेम या संबंध को मजहबी नज़रिए से देखना, हमारे लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक ताने-बाने के खिलाफ है।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ

मीरा ने कृष्ण को प्रेम किया,

हीर रांडा, सलीम अनारकली,

आर अकबर एंथनी जैसे पंजाब ने सहिष्णुता को जीया।

वहीं आज का समाज यह सोच ले कि दो मजहबों के लोगों का प्रेम ‘षड्यंत्र’ है, तो यह मानवता का पतन है। हरियाणा की अदालत की यह टिप्पणी सराहनीय है, क्योंकि यह भावनाओं नहीं, तथ्यों पर आधारित निर्णय है।

जब पूरा समाज प्रचार और अफवाहों में उलझा हो, वहाँ न्यायालयों का यह विवेकपूर्ण रुख लोकतंत्र की रक्षा करता है।

न्यायमूर्ति का यह कहना-

‘सच को तोलना ही होगा, पूर्वाग्रह से नहीं’

-यह सिर्फ़ कानूनी निर्देश नहीं, एक सामाजिक चेतावनी है।

हरियाणा जैसे राज्य, जहाँ जातिवाद, ऑनर किलिंग और महिला असुरक्षा पहले से ही विकराल हैं-वहीं ‘लव जिहाद’ जैसे शब्दों का प्रचार समाजों को और अधिक तोड़ देगा।

हमें तय करना होगा-

क्या हम ऐसे समाज बनाना चाहते हैं जो प्रेम से डरे,

या ऐसा जहाँ प्रेम को समझा जाए?

क्या हम औरत को अपनी ‘जातीय संपत्ति’ मानकर उसकी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं?

या एक स्वतंत्र नागरिक की तरह उसकी इच्छा का सम्मान करना सीखना चाहते हैं?

‘लव जिहाद’ एक राजनीतिक भाषा का शब्द है, न कि संवैधानिक सच्चाई। हरियाणा की अदालत ने इस भ्रम का पर्दाफाश कर हमें चेतावनी दी- कि रिश्ते, प्रेम, विवाह जैसे निजी मामलों को धार्मिक युद्ध में मोर्चा मत बनाइए। अगर किसी संबंध में धोखा है-तो उसका हल कानून में है। लेकिन अगर हर प्रेम पर धर्म का चरम चढ़ाया जाएगा, तो समाज में न प्रेम बचेगा, न भरोसा-

सिर्फ़ नाफ़रत, भय और असहिष्णुता की जड़ें और गहरी होंगी।

प्रेम में प्रश्न नहीं होते, पूर्वाग्रह नहीं होते, संपादय नहीं होता-वहीं सिर्फ़ दो इंसान होते हैं जो एक-दूसरे को चुनते हैं। उन्हें मजहब में मत तोलिए, इंसानियत में समाझिए।

गाजियाबाद, शनिवार 26 जुलाई 2025

जब गुनहवार छूटते हैं और पीड़ित रह जाते हैं ...

2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों में लगभग 189 लोगों की जान गई। लगभग 19 वर्षों तक चले मुकदमे के बाद जब उच्चतम न्यायालय ने सर्वतो को अभाव में 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया, तो यह न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसियों और अभियोजन की निष्क्रियता पर गहरी चोट थी। कमजोर जांच, फॉरेंसिक लापरवाही, जबरन कबूलनामे और गवाहों की सुरक्षा की अनदेखी ने पूरे मामले को खोखला बना दिया। यह घटना हमें बताती है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक, निष्पक्ष और जवाबदेह प्रणाली की आवश्यकता है। वरना जनता का भरोसा केवल व्यवस्था पर से ही नहीं, लोकतंत्र से भी उठ जाएगा।

प्रियंका सौरभ

मुंबई में वर्ष 2006 में हुए लोकल ट्रेन धमाके देश के इतिहास की सबसे भयानक आतंकी घटनाओं में से एक थे। सात जगहों पर ट्रेनों में बम विस्फोट कर के 189 लोगों की जान ली गई और लगभग 800 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला केवल मानव शरीरों पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की आत्मा पर किया गया था। पूरा देश सन्न रह गया था। भय, आक्रोश और असहयता के बीच एकमात्र आशा थी – न्याय की। परंतु जब लगभग 19 वर्षों बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के 12 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, तब एक बार फिर यह प्रश्न गूंजने लगा कि क्या हमारे देश में पीड़ितों को कभी न्याय मिल भी पाता है?

यह निर्णय केवल एक अदालती प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस व्यवस्था की पोल खोलने वाला था जिसमें जांच एजेंसियों की निष्क्रियता, अभियोजन की लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप की मिलीजुली साजिश वर्षों से न्याय को घुटनों पर लाने का कार्य कर रही है। किसी भी न्यायालय का कार्य तथ्यों, साक्ष्यों

परंपरा तभी पूजनीय, जब न्याय साथ हो

सुधीर पाल

छत्तीसगढ़ के बश्तर और सरगुजा से लेकर झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों तक फैले आदिवासी समाज में उत्तराधिकार का अधिकार अब तक पुरुषों तक सीमित रहा है। ‘हमारी बहन बेटियां हमारी अमानत हैं, लेकिन जमीन पर उनका हक नहीं’, यह कथन कई आदिवासी समुदायों के सामाजिक ढांचे को दर्शाता है। पॉपुलॉ अनुसूची वाले क्षेत्रों में (जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा आदि) आदिवासी समुदायों की परंपरागत व्यवस्थाओं को सम्मान देने की संवैधानिक व्यवस्था है।

यह संविधान की धारा 13 और 372 के तहत मान्यता प्राप्त ‘कस्टमरी लॉ’ के तहत आता है। परंतु जब ये परंपराएँ लैंगिक भेदभाव पर आधारित होती हैं, तो वे संविधान की बुनियादी संरचना से टकरा जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासी परंपराओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन उन परंपराओं का नहीं जो महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार में पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। यह फैसला पहली दृष्टि में न्याय का प्रतीक लगता है, लेकिन जब हम गहराई में जाकर देखते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या यह न्याय है, या न्याय के नाम पर सामाजिक-सांस्कृतिक और कुछ हद तक पॉचर्वी अनुसूचित क्षेत्र की विशिष्ट व्यवस्था में हस्तक्षेप?

भूमि अधिकार बनाम परंपरा: आदिवासी महिलाएं जंगल, जमीन और जल से गहराई से जुड़ी हैं। वह जल संग्रहण करती हैं, बीज बचाती हैं, खेती करती हैं, और जंगल को जीवित रखती हैं। फिर भी, जब भूमि के मालिकाना हक की बात आती है तो उसका नाम कहीं नहीं होता। अक्सर यह कहा जाता है कि आदिवासी समाज पुरुष भ्रगान नहीं होता, वहां महिला को सम्मान मिलता है। लेकिन सम्मान और अधिकार में फर्क है। एक और तर्क दिया जाता है कि आदिवासी समुदायों में जमीन का स्वामित्व सामुदायिक होता है न कि व्यक्तिगत। लेकिन जमीन अधिग्रहण का मुआवजा का पैसा

और विधिक प्रक्रिया के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देना होता है। लेकिन जब जांच ही लचर हो, जब सबूत इतने कमजोर हों कि अदालत उन्हें स्वीकार ही न करे, तो फिर न्यायालय भी विवश हो जाता है।

इस मामले में आरोपियों को सजा न मिल पाने का दोष न्यायालय पर मढ़ना आसान है, लेकिन वास्तव में जिम्मेदार वे अधिकारी हैं जिन्होंने इस गंभीर आतंकी हमले की जांच को हल्केपन और जल्दबाजी से अंजाम दिया। कई आरोपियों के कबूलनामे जबरन करवाए गए, जो कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में स्वीकार्य नहीं हैं। विस्फोट स्थलों से फॉरेंसिक साक्ष्य पर एकत्रित नहीं किए गए। गवाहों की सुरक्षा को नज़रअंदाज़ किया गया। चार्जशीट्स में विरोधाभासी बातें सामने आईं और अभियोजन पक्ष अदालत में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सका। इन सबका परिणाम यह हुआ कि वे लोग जो सालों से दोषियों को सजा दिलाने की उम्मीद में अदालतों के चक्कर काट रहे थे, उन्हें अंत में निराशा ही हाथ लगी। क्या इस देश में किसी आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या पीड़ित परिवारों की आंखों के आँसू, उनकी टूटती उम्मीदें और उनके जीवन की अनुरक्षा हमारी व्यवस्था को झकझोरने के लिए काफी नहीं?

यह कोई पहला मामला नहीं है जहां न्याय व्यवस्था ने पीड़ितों को न्याय दिलाने में असफलता दिखाई हो। भोपाल गैस त्रासदी, हाशिमपुरा नरसंहार, 1984 सिख दंगे, और निठारी हत्याकांड – यह सभी उदाहरण हैं जहां या तो दोषी छूट गए या न्याय मिलने में इतनी देर हुई कि उसका कोई अर्थ ही नहीं बचा। यह सबूत है कि हमारी न्यायिक प्रणाली में समय, साक्ष्य और सत्य – तीनों की कमी होती जा रही है। न्याय केवल अदालत में फैसले देने की प्रक्रिया नहीं है, वह समाज के उस विश्वास की

या आदिवासी जमीन की बिन्नी का पैसा कभी किसी ग्राम सभा के खाते में जमा हुआ है?

सामुदायिक स्वामित्व के प्रकृति की जमीन जैसे पहनई, मुंडई, मरतोई, डाली-कतारी, भूत-खेता, पनभरा इत्यादि के अधिग्रहण की रािश ग्राम सभा के खाते में कभी जमा हुई है, इसके उदाहरण नहीं हैं। गैर आदिवासी पुरुषों से आदिवासी लड़कियों की शादी को भी जमीन से जोड़ कर देखा जाता है। मालूम हो जमीन की प्रकृति कभी नहीं बदलती है। आदिवासी महिला के गैर आदिवासी से शादी के बाद भी जमीन का नेचर आदिवासी ही रहेगा और हस्तान्तरण नहीं हो सकता है। जैसे वनाधिकार कानून को तहत मिली जमीन की प्रकृति हमेशा वन भूमि की ही रहती है।

क्या महिला को अपनी पुर्तनी जमीन बेचने, उस पर खेती करने, या ग्रामसभा में भूमि के मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार है? कई समुदायों में विवाह के बाद महिला अपने मायके की जमीन पर अधिकार नहीं रखती। क्या यह पुरानी परंपरा है या पितृसत्तात्मक कानूनों का धीरे-धीरे घुसपैठ?

यहां एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न उठता है-क्या पॉचर्वी अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है? पॉचवी अनुसूची. जो आदिवासियों की स्वायत्तता और परंपरा को मान्यता देता है, स्पष्ट करता है कि राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वे केंद्र और राज्य के किसी कानून को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने से रोक सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तब परंपरा या संस्कृति का हवाला नहीं दिया जा सकता। झारखंड के अधिवक्ता सुनील उरांव बताते हैं कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908, की धारा 6 (1) में उल्लेखित ‘भूमि जोतने वाला’ सिद्धांत का ऐसा अर्थ निकाला गया है कि विवाहित बेटियों को उनके पैतृक कृषि भूमि में अधिकार से वंचित किया गया। यह व्याख्या अक्सर इस धारणा पर आधारित थी कि विवाह के बाद एक महिला अपने पैतृक परिवार का हिस्सा नहीं रहती और इसलिए उसका पैतृक भूमि पर कोई अधिकार

संपादकीय

जब गुनहवार छूटते हैं और पीड़ित रह जाते हैं ...



रीढ़ है जो शासन और प्रशासन पर टिका होता है। यदि बार-बार अपराधी बच निकलें, यदि आतंकवादी छूट जाएं, और यदि पीड़ित सालों अदालतों की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें तो वह विश्वास तारा के पत्तों की तरह ढह जाता है।

मुंबई ट्रेन धमाके की जांच जिस प्रकार से की गई, वह बताता है कि हमारी जांच एजेंसियां न केवल तकनीकी रूप से कमजोर हैं, बल्कि वे राजनीतिक दबाव में काम करने के लिए अभिभूत भी हैं। भारत में जांच का ढांचा ब्रिटिशकालीन मानसिकता पर आधारित है, जिसमें अपराधी को पकड़ने से ज्यादा उसे ‘दिखाने’ पर जोर होता है। और जब मामला आतंकवाद से जुड़ा हो, तो कई बार बेकसूरों को पकड़ कर जनता के गुस्से को शांत करने की कोशिश की जाती है। इससे असली अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं जाता, और सारा केस अदालत में दम तोड़ देता है।

इस मामले में भी कई ऐसे पहलू हैं जो चिंता पैदा करते हैं। जैसे – जांच में देरी, सबूतों का

का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरे, गवाह सुरक्षा कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। आतंकवाद जैसे मामलों में गवाहों को धमकाना बहुत आम है, जिससे वे आंदाज में बयान बदल देते हैं। तीसरे, जंच एजेंसियों को तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण दिए जाने चाहिए ताकि वे डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों को प्रभावी रूप से इकट्ठा कर सकें। चौथे, फास्ट ट्रैक अदालतें बनाकर ऐसे मामलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से करनी चाहिए, ताकि पीड़ितों को 19 साल तक न्याय की प्रतीक्षा न करनी पड़े। और पांचवां, यदि कोे जांच एजेंसी जानबूझकर कमजोर चार्जशीट बनाती है, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है – मीडिया की भूमिका। मीडिया को भी आत्ममंथन करना होगा। जब कोई मामला अदालत में हो, तब मीडिया द्वारा किसी को दोषी या निर्दोष घोषित कर देना, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मीडिया ट्रायल से गवाहों पर दबाव बनता है और जनता का पूर्वाग्रह उभरता है। यह भी कारण है कि न्याय अपने नैतिक स्वरूप से दूर होता जा रहा है।

वैज्ञानिक तरीके से संग्रह न होना, अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य न होना, और गवाहों का मुकर जाना। इन सब कमियों के बावजूद यदि हम न्याय को उम्मीद करें, तो यह केवल छलावा होगा। क्या न्यायपालिका को केवल मौन दर्शक बने रहना चाहिए? क्या उसका कोई दायित्व नहीं कि वह जांच की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए? जब अदालतों ने कई अन्य मामलों में विशेष जांच दल (SIT) गठित किए हैं, तो फिर इस गंभीर मामले में क्यों नहीं? न्यायिक सक्रियता केवल राजनैतिक मामलों या नागरिक अधिकारों तक ही सीमित क्यों?

वास्तव में न्याय प्रणाली को समयबद्ध, वैज्ञानिक और जवाबदेह बनाने के लिए एक सम्पूर्ण सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अभियोजन विभाग को पुलिस से अलग कर स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अभियोजन किसी राजनीतिक दबाव या पुलिस की एकतरफा जांच

जबकि पक्षों द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट प्रथा प्रमाणित नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधुनिक न्यायशास्त्र में यदि कोई विशेष भाष्य/थथा स्पष्ट नहीं है, तो समावेशी दृष्टिकोण—समानता—को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और बहिष्करण का बोझ उल्लेख करने वाले पक्ष पर होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई स्पष्ट कानून या प्रमाणित परंपरा मौजूद नहीं है, अदालतों को न्याय, समता और अच्छे विवेक के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। अदालत ने केंद्रीय प्रांत विधि अधिनियम, 1875 (अब निरस्त) की धारा 6 का हवाला दिया, जिसके अनुसार, जहां स्पष्ट कानून न हो, वहां न्याय/समता का अनुसरण होता है। अदालत ने माना कि अधिनियम के निरसन के बावजूद उसमें आए अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव की मनाही) का उल्लंघन आदिवासी महिलाएं संपत्ति से वंचित कर के किया जा रहा था। अनुच्छेद 38 और 46 में राज्य को सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान का दायित्व सौंपा गया है। अदालत ने यह भी कहा कि समानता के अधिकार बोधगम्य वर्गीकरण की भी सीमाएं तय करनी हैं। हालांकि, समसात किशुनी कुवंर बनाम अंडू महतो (एसआरआर, 1930 पट 55) जैसे ऐतिहासिक मामलों में पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तराधिकार और वसीयत के माध्यम से संपत्ति का अंतरण इस धारा के अधीन नहीं आता है। इसका मतलब है कि उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त भूमि के लिए उपायुक्त की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती, जिससे आदिवासी महिलाओं के लिए विरासत में मिली भूमि पर अधिकार का दावा करना आसान हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का विवेचन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने मान लिया था कि कोई ‘बहिष्करणीय प्रथा’ मौजूद है, जिसके अनुसार बेटियों को पैतृक संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। अदालतों ने अपीलकर्ता से अपेक्षा की थी कि वह सिद्ध करें कि विपरीत प्रथा (यानी बेटियों को अधिकार देने की परंपरा) है, अथवा नहीं है। अदालतों ने मान लिया था कि कोई ‘बहिष्करणीय प्रथा’ मौजूद है, जिसके अनुसार बेटियों को पैतृक संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। हालांकि, समसात किशुनी कुवंर बनाम अंडू महतो (एसआरआर, 1930 पट 55) जैसे ऐतिहासिक मामलों में पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तराधिकार और वसीयत के माध्यम से संपत्ति का अंतरण इस धारा के अधीन नहीं आता है। इसका मतलब है कि उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त भूमि के लिए उपायुक्त की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, जिससे आदिवासी महिलाओं के लिए विरासत में मिली भूमि पर अधिकार का दावा करना आसान हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का विवेचन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने मान लिया था कि कोई ‘बहिष्करणीय प्रथा’ मौजूद है, जिसके अनुसार बेटियों को पैतृक संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। अदालतों ने अपीलकर्ता से अपेक्षा की थी कि वह सिद्ध करें कि विपरीत प्रथा (यानी बेटियों को अधिकार देने की परंपरा) है, अथवा नहीं है। अदालतों ने मान लिया था कि कोई ‘बहिष्करणीय प्रथा’ मौजूद है, जिसके अनुसार बेटियों को पैतृक संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। हालांकि, समसात किशुनी कुवंर बनाम अंडू महतो (एसआरआर, 1930 पट 55) जैसे ऐतिहासिक मामलों में पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तराधिकार और वसीयत के माध्यम से संपत्ति का अंतरण इस धारा के अधीन नहीं आता है। इसका मतलब है कि उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त भूमि के लिए उपायुक्त की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, जिससे आदिवासी महिलाओं के लिए विरासत में मिली भूमि पर अधिकार का दावा करना आसान हो जाता है।

अधिवक्ता सुनील उरांव समझते हैं कि सीएनटी की धारा-46 में अंतरण का नियमन है। यह धारा स्वीच्छक अंतरणों जैसे विक्रय, पट्टा या उपहार/दान पर नियंत्रण लगाती है, जिसके लिए उपायुक्त की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इस धारा का उद्देश्य आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोकना है। हालांकि, समसात किशुनी कुवंर बनाम अंडू महतो (एसआरआर, 1930 पट 55) जैसे ऐतिहासिक मामलों में पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तराधिकार और वसीयत के माध्यम से संपत्ति का अंतरण इस धारा के अधीन नहीं आता है। इसका मतलब है कि उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त भूमि के लिए उपायुक्त की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, जिससे आदिवासी महिलाओं के लिए विरासत में मिली भूमि पर अधिकार का दावा करना आसान हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का विवेचन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने मान लिया था कि कोई ‘बहिष्करणीय प्रथा’ मौजूद है, जिसके अनुसार बेटियों को पैतृक संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। अदालतों ने अपीलकर्ता से अपेक्षा की थी कि वह सिद्ध करें कि विपरीत प्रथा (यानी बेटियों को अधिकार देने की परंपरा) है, अथवा नहीं है। अदालतों ने मान लिया था कि कोई ‘बहिष्करणीय प्रथा’ मौजूद है, जिसके अनुसार बेटियों को पैतृक संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। हालांकि, समसात किशुनी कुवंर बनाम अंडू महतो (एसआरआर, 1930 पट 55) जैसे ऐतिहासिक मामलों में पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तराधिकार और वसीयत के माध्यम से संपत्ति का अंतरण इस धारा के अधीन नहीं आता है। इसका मतलब है कि उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त भूमि के लिए उपायुक्त की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, जिससे आदिवासी महिलाओं के लिए विरासत में मिली भूमि पर अधिकार का दावा करना आसान हो जाता है।

यही बात अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन कहे होते तो इतनी नाराजगी नहीं होता क्योंकि रूस भारत का अपना सगा भाई जैसा है। उसने कभी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसीर मुनीर क्रो लंच पर नहीं बुलाया बरहमोस मिशालिय भारत और रूस का मिला जुला मिसायल तकनिकी है और आप अदालत से उठाकर देखें तो रूस अपना बड़ा भाई जैसा देश नजर आएगा चाहे वो हथियार से अलग क्षेत्र में विकास क्रो देखें लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनसे हमारे रिश्ते सही नहीं बन पाये इसे गंभीरता से लेना चाहिए दो नाव पर सवार नहीं किया जा सकता अतः रूस का साथ ही भारत के लिए सबसे बेहतर है। क्योंकि वो कभी भारत में सभ्य तरीके है बात करता है और दादागिरी नहीं दिखाता है पोखरण -2 परमाणु परीक्षण से लेकर भारत में भी बहुत से लोग अवैध रूप से पकड़े जाते हैं लेकिन उन्हें उस तरह नहीं भेजा जाता है पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका करता है।

उसे लोन दिलाया और इतना तो समझो की उसके पास अधिकतर फाइटरजेट अमेरिका ने ही दिए है और वो भी इस तरह की आतंकवादी क्रो खत्म करने के लिए,एक भारत के खिलाफ युद्ध में इश्तेमाल करता है

का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरे, गवाह सुरक्षा कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। आतंकवाद जैसे मामलों में गवाहों को धमकाना बहुत आम है, जिससे वे आंदाज में बयान बदल देते हैं। तीसरे, जंच एजेंसियों को तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण दिए जाने चाहिए ताकि वे डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों को प्रभावी रूप से इकट्ठा कर सकें। चौथे, फास्ट ट्रैक अदालतें बनाकर ऐसे मामलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से करनी चाहिए, ताकि पीड़ितों को 19 साल तक न्याय की प्रतीक्षा न करनी पड़े। और पांचवां, यदि कोे जांच एजेंसी जानबूझकर कमजोर चार्जशीट बनाती है, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है – मीडिया की भूमिका। मीडिया को भी आत्ममंथन करना होगा। जब कोई मामला अदालत में हो, तब मीडिया द्वारा किसी को दोषी या निर्दोष घोषित कर देना, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मीडिया ट्रायल से गवाहों पर दबाव बनता है और जनता का पूर्वाग्रह उभरता है। यह भी कारण है कि न्याय अपने नैतिक स्वरूप से दूर होता जा रहा है।

वैज्ञानिक तरीके से संग्रह न होना, अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य न होना, और गवाहों का मुकर जाना। इन सब कमियों के बावजूद यदि हम न्याय को उम्मीद करें, तो यह केवल छलावा होगा। क्या न्यायपालिका को केवल मौन दर्शक बने रहना चाहिए? क्या उसका कोई दायित्व नहीं कि वह जांच की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए? जब अदालतों ने कई अन्य मामलों में विशेष जांच दल (SIT) गठित किए हैं, तो फिर इस गंभीर मामले में क्यों नहीं? न्यायिक सक्रियता केवल राजनैतिक मामलों या नागरिक अधिकारों तक ही सीमित क्यों?

वास्तव में न्याय प्रणाली को समयबद्ध, वैज्ञानिक और जवाबदेह बनाने के लिए एक सम्पूर्ण सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अभियोजन विभाग को पुलिस से अलग कर स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अभियोजन किसी राजनीतिक दबाव या पुलिस की एकतरफा जांच

बेटियों/महिलाओं को समता का अधिकार देना होगा। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पैसा) और वन अधिकार अधिनियम, 2006 जैसे कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन को भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

भूमि और आजीविका पर प्रत्यक्ष प्रभाव: आदिवासी महिलाएं पूर्व में भूमि अधिकार के अभाव के कारण कड़े कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सहयोग से वंचित रहती थीं। अब संपत्ति में हिस्सेदारी से उन्हें सरकारी योजनाओं, बैंक लोन, संपत्ति के विकास पर निर्णय में अधिकार मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों पर महिलाओं का स्वामित्व उनके परिवार तथा समुदाय की खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य व जीवन-श्तर में सुधार लाएगा।

परंपरा और लैंगिक समानता: सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाकर्ता की भूमिका निभाते हुए न्यायशास्त्र को स्पष्ट किया है कि आधुनिक भारत में लैंगिक समानता एक शर्त है और हर प्रथा या परंपरा को इसके अधीन होना होगा। फैसले में यह भी युक्तिसंगत रूप से कहा गया कि ‘परंपराएं भी समय के साथ परिवर्तनशील हैं।’ अनावश्यक बहिष्करण की परंपराएं अब संवैधानिक मूल्यों के आगे टिक नहीं सकतीं। यह निर्णय पितृसत्ता के अवचेतन सांस्कृतिक प्रभावों को भी चुनौतीपूर्ण देता है, जो लंबे समय से न्यायिक मान्यताओं में ‘डिफ़रेंस’ रहे हैं।

इस फैसले को समझते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ़ महिला बनाम पुरुष का समान नहीं है। यह न्याय और परंपरा के बीच, समाजता और सांस्कृतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन का सवाल है। हो सकता है, भविष्य में ग्रामसभा स्वयं यह तय करे कि उसकी बेटियां भी उतनी ही हकदार हैं जितने बेटे। लेकिन जब तक वह स्वीकृति नहीं आती, तब तक संविधान को यह दखल देना ही होगा

वंचित किया जाए, अब कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। इससे महिलाओं में संपत्ति के स्वामित्व का बोध, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक सम्मान बढ़ेगा।

कानूनी और प्रशासकीय प्रभाव: अब अनुसूचित क्षेत्रों की अदालतों/प्रशासन को प्रथाओं के साक्ष्य न होने की स्थिति में


नहीं और अमेरिका का भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उसने हमें भाई की दृष्टि से नहीं व्यापार की दृष्टिकोण से देखा है। सेना के अपने तरह से काम करने देने की पूर्ण आजादी मिले और देशहित में निर्णय हो वो तो किसी समय तत्कालीन रक्षा मंत्री स्व मनोहर परिकर का रूस से खरीदा गया एक 400 डिफेंस सिस्टम था कि दुश्मन के अस्त्र क्रो हवा में ही मार गिराया अतः गलत गलत ही होता है और लोग उसी क्रो याद करते हैं जो देश सेवा की भावना से काम करता है। अब आपको निर्णय करना है देश के लिए रूस का साथ रहना है या अमेरिका के साथ जहाँ धोखा ही धोखा है और बारबोलापान है।

रूस ने इसपर क्रोई प्रतिक्रिया नहीं दि क्योंकि उसे युद्धन से लड़ रहा है जिसमें वो अकेले नाटो से अपेक्षी रूप से लड़ रहा है ए उसका आंतरिक मामला है अतः हमें या तो साथ देना चाहिए या चुप रहकर उसका हाल चाल पूछना चाहिए। यूक्रण युद्ध के लिए वहाँ के राष्ट्रपति जिलेस्की जिम्मेदार

China Open:

सिंधू पर जीत दर्ज करने वाली 17 साल की उन्नति को क्वार्टर फाइनल में मिली हार, यामागुची ने किया बाहर

चांगझू (चीन), एजेंसी। पिछले दौर में अपनी आदर्श खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू को हराने वाली 17 वर्षीय हूडू क्वार्टर फाइनल में जापान की खिलाड़ी से 33 मिनट तक चले मैच में 16-21, 12-21 से हार गई। भारत की उभरती बैडमिंटन स्टार उन्नति हूडू का चाइना ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में शानदार सफर शुरूवार को क्वार्टर फाइनल में जापान की विश्व की चौथे नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची से सीधे गेम में हार के साथ समाप्त हो गया। भारत की उम्मीद अब सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेठ्टी की पुरुष युगल जोड़ी पर टिकी है जो क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के यू सिन आंग और ई यी तेओ का सामना करेंगी। पिछले दौर में अपनी आदर्श खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू को हराने वाली 17 वर्षीय हूडू क्वार्टर फाइनल में जापान की खिलाड़ी से 33 मिनट तक चले मैच में 16-21, 12-21 से हार गई। उन्नति के बाहर होने के साथ ही टूर्नामेंट में भारत का एकल में अभियान समाप्त हो गया। पहले गेम में हूडू ने यामागुची को बराबर की टक्कर दी लेकिन वह अपनी लय बरकरार नहीं रख पाई और जापान की खिलाड़ी ने लगातार पांच अंक बनाकर यह गेम अपने नाम कर दिया। इस गेम में हूडू का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लगातार तीन अंक लेना था। दूसरे गेम में भी यही कहानी दोहराई गई। भारतीय खिलाड़ी ने बीच में थोड़ी देर के लिए चुनौती पेश की और लगातार चार अंक हासिल किए लेकिन यामागुची ने लगातार छह अंक बनाकर दूसरा गेम 21-12 से अपने नाम करके सेमीफाइनल में जगह बनाई।



जायसवाल के बचपन के कोच ज्वाला सिंह ने बताया टेस्ट में जीतने का तरीका

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के बचपन के कोच ज्वाला सिंह ने मैच टेस्ट और एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में अब तक भारत के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है और सुझाव दिया है कि दो-तीन बल्लेबाजों को लंबी पारियां खेलनी चाहिए, जबकि मध्य और निचले क्रम के बल्लेबाजों को टीम के समग्र प्रदर्शन में और योगदान देना होगा। अब तक शीर्ष क्रम के योगदान पर विचार करते हुए सिंह ने साई सुदर्शन, ऋषभ पंत और जायसवाल के प्रयासों की सराहना की, लेकिन एक लंबी, मैच-परिभाषित पारी की कमी पर भी ध्यान दिलाया, जो उनके अनुसार टेस्ट मैच जीतने के लिए महत्वपूर्ण है।

सिंह ने कहा, अगर आप सलामी बल्लेबाजों पर गौर करें, तो साई सुदर्शन ने कुछ रन बनाए और चोट के बावजूद ऋषभ पंत ने भी योगदान दिया। यशस्वी ने रन बनाए और कुछ अन्य बल्लेबाजों ने छोटी लेकिन उपयोगी पारियां खेलीं। लेकिन अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है, तो एक या दो खिलाड़ियों को बड़ी और लंबी पारियां खेलनी होंगी।

उन्होंने कहा, पहले टेस्ट मैच में हमने जो गलतियां कीं, वे तीसरे टेस्ट में भी दोहराई गईं। हमें मध्य और निचले क्रम से और योगदान की जरूरत थी। हमने दूसरा टेस्ट मुख्य रूप से शुभमन गिल के बड़े स्कोर की बदौलत जीता। उनकी पारी ने उस जीत को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। बल्लेबाजों को यहां भी जिम्मेदारी लेनी की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया।

इंग्लैंड में तिलक वर्मा का दूसरा शतक, 15 छक्के-चौके मारे, दिग्गज पाकिस्तानी बॉलर की भी धुनाई

नई दिल्ली, एजेंसी। तिलक वर्मा इस समय इंग्लैंड में खूब रन बना रहे हैं। टीम इंडिया का ये बल्लेबाज अब तक दो शतक ठोक चुका है। इस दौरान उसने खूब चौके और छक्के लगाए हैं। जहां एक तरफ भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने में बिजी है तो वहीं तिलक वर्मा इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप में अपने शानदार प्रदर्शन से गेंदबाजों के नाक में दम किए हुए हैं। काउंटी चैंपियनशिप 2025 में हैपशर की ओर से खेलते हुए तिलक वर्मा ने नॉटिंगमशर के खिलाफ के 112 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके दम पर हैपशर ने मैच में जबरदस्त वापसी की है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज की खूब धुनाई की।

काउंटी चैंपियनशिप 2025 के डिवीजन-1 के 47वें मुकाबले में हैपशर के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने नॉटिंगमशर के खिलाफ शानदार बैटिंग की। उन्होंने 256 गेंदों में 13 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 112 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद अब्बास की गेंदों पर खूब रन बनाए। उनके इस शानदार पारी के दम पर हैपशर ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 367 रन बना लिए हैं। इससे पहले नॉटिंगमशर ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 578 रन बनाकर घोषित कर दी थी। हैपशर अभी भी नॉटिंगमशर से 211 रन पीछे हैं। इस मैच में तिलक वर्मा जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो उस समय टीम का स्कोर दो विकेट पर 111 रन था। इसके बाद उन्होंने संभल कर खेला शुरू किया और एक छोर संभाले रखा। दूसरी तरफ 173 के स्कोर पर हैपशर के चार विकेट लिए गए, लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा कप्तान बिन ब्राउन (28 रन) के साथ मिलकर पारी को संभाला।

तिलक ने एक छोर संभाले रखा तिलक और ब्राउन ने पांचवें विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी की। ब्राउन के आउट होने के बाद फेलिक्स ऑर्गन (नाबाद 71 रन) तिलक का साथ देने के लिए आए। दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 126 रन जोड़े। इस दौरान तिलक वर्मा ने इस सीजन में अपना दूसरा शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने नॉटिंगमशर के गेंदबाजों मोहम्मद अब्बास, जांश टंग, बेट हटन और फरखान अहमद के खिलाफ खूब रन बनाए। इस पहले उन्होंने अपने डेब्यू मैच में शतक ठोका था।

एशिया कप: एक ही ग्रुप में होने की संभावना, एशिया कप 2025 भारत की मेजबानी में यूई में खेला जाएगा

भारत-पाकिस्तान मैच सितंबर में हो सकता है

ढाका, एजेंसी। यह फोटो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच की है। पाकिस्तान में हुए इस टूर्नामेंट में भारत के सभी मैच हाइब्रिड मॉडल में खेले गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला फिर देखने को मिल सकता है। ये मैच एशिया कप 2025 में खेले जाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को सौंपी है। टूर्नामेंट सितंबर में यूई में खेला जाएगा। यह फैसला गुरुवार को ढाका में आयोजित एसीसी की बैठक में लिया गया, जिसमें सभी 25 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। बीसीसीआई की ओर से उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वर्चुअली जुड़े। बीसीसीआई के एक अफसर ने बताया कि भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। भारत और पाकने आपसी सहमति से 2027 तक सभी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का फैसला किया है। ब्रांडकास्टर्स व स्पॉन्सर्स की मांग को देखते हुए भारत-पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जा सकता है। इससे 3 मैच होने की संभावना है। पहला लीग स्टेज में, फिर सुपर सिक्स में भी कम से कम एक मुकाबला हो सकता है। यदि दोनों टीमों फाइनल में पहुंचती हैं, तो तीसरा मुकाबला भी संभव है।



बेंगलुरु भगदड़ मामले में फंसी आरसीबी, कर्नाटक सरकार ने दी केस चलाने की मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल 2025 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब कानूनी पचड़े में बुरी तरह से फंसे गए हैं। टीम की विकट्री परेड के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ के मामले में कर्नाटक सरकार ने आरसीबी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सरकार ने यह फैसला जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया है, जिसमें आरसीबी केएससीए और आयोजन से जुड़ी डीएनएएंटरेटनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को घटना का जिम्मेदार बताया गया है।



खिताब अपने नाम किया था। अगले ही दिन, यानी 4 जून को आरसीबी टीम बेंगलुरु लौटी और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक भव्य विकट्री परेड और समारोह आयोजित किया गया था। इस इवेंट के दौरान भीड़ पर नियंत्रण नहीं हो पाया। जरूरत से ज्यादा टिकट बांट दिए गए थे जिसके चलते स्टेडियम में क्षमता से अधिक लोग पहुंच गए और अव्यवस्था की वजह से भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए थे।

अब आगे क्या? कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को कहा है कि सरकार ने जस्टिस डीकुन्हा की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और अब आरसीबी, केएससीए और इवेंट कंपनी पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों की भूमिका की भी जांच होगी, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर भी सवाल उठे हैं। पाटिल ने आगे कहा की इस रिपोर्ट में घटना के लिए जिम्मेदार सभी संस्थाओं और लोगों के नाम दर्ज हैं और सभी के खिलाफ पुख्ता जांच की जाएगी।

ऋषभ पंत की इंजरी के बाद ICC कट सकती है नियमों में बदलाव...

सब्टीट्यूट प्लेयर करेगा बैटिंग-बॉलिंग!



नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और इंग्लैंड के बीच मैच टेस्ट के ओल ट्रेफर्ड में खेले जा रहे टेस्ट मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को गंभीर चोट लगी। ऋषभ पंत को यह चोट पहले दिन के खेल के दौरान दाएं पैर के अंगूठे में लगी थी, तब वो क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे। ऋषभ काफी दर्द में दिखे और उन्हें रिटायर्ड हट होना पड़ा। हालांकि ऋषभ पंत ने अगले दिन फिर से बल्लेबाजी की और अर्धशतक जड़ने की कामयाब रहे। हालांकि पंत इस मैच में विकेटकीपिंग करने की हालत में नहीं हैं। ऐसे में उनकी जगह विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी ध्रुव जुरेल निभा रहे हैं। एक बात गौर करने वाली है कि जुरेल सिर्फ कीपिंग कर सकते हैं, वो आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) के नियमानुसार बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। मौजूदा नियमों के तहत अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए तो उसकी जगह आने वाला सब्टीट्यूट खिलाड़ी सिर्फ फील्डिंग कर सकता है, लेकिन वो खिलाड़ी बैटिंग या बॉलिंग नहीं कर सकता। लेकिन यदि खिलाड़ी को सिर या आंख में चोट लगती है और वो कन्कशन टेस्ट में फेल हो जाता है, तो कन्कशन सब्टीट्यूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कन्कशन सब्टीट्यूट गेंदबाजी, बल्लेबाजी या फील्डिंग कर सकता है।

ओलम्पिक 2036: भारत को मिलेगी 2036 ओलंपिक की मेजबानी?

भारत को मिलेगी 2036 ओलंपिक की मेजबानी?

नई दिल्ली, एजेंसी। आईओए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रघुराम अय्यर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम यह मानना चाहेंगे कि हम बहुत सकारात्मक हैं, लेकिन फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि किसे मेजबानी के अधिकार दे दिए जाएंगे। कतर नवीनतम देश है जिसने खुलासा किया है कि उसने 2036 खेलों की मेजबानी के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के भविष्य मेजबान आयोग के साथ बातचीत प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मेजबान देश के चयन से पहले की लंबी प्रक्रिया का पहला कदम है। आईओए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रघुराम अय्यर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम यह मानना चाहेंगे कि हम बहुत सकारात्मक हैं, लेकिन फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि किसे मेजबानी के अधिकार दे दिए जाएंगे।

रघुराम अय्यर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम यह मानना चाहेंगे कि हम बहुत सकारात्मक हैं, लेकिन फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि किसे मेजबानी के अधिकार दे दिए जाएंगे। कतर नवीनतम देश है जिसने खुलासा किया है कि उसने 2036 खेलों की मेजबानी के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के भविष्य मेजबान आयोग के साथ बातचीत प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मेजबान देश के चयन से पहले की लंबी प्रक्रिया का पहला कदम है। आईओए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रघुराम अय्यर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम यह मानना चाहेंगे कि हम बहुत सकारात्मक हैं, लेकिन फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि किसे मेजबानी के अधिकार दे दिए जाएंगे।

आगे है। अगला कदम लक्षित संवाद प्रक्रिया है जिसके बाद ही एफएचसी आईओसी काग्रेस को पसंदीदा मेजबान देश की सिफारिश करेगा। उन्होंने कहा कि 2036 ओलंपिक के लिए मेजबान देश का नाम दो साल बाद ही पता चलने की संभावना है क्योंकि आईओसी ने खुद पूरी प्रक्रिया पर 'रोक' लगाने की घोषणा की है। अय्यर ने कहा, हम इस समय आईओसी के साथ निरंतर बातचीत के दौर में हैं। आईओसी

आगे है। अगला कदम लक्षित संवाद प्रक्रिया है जिसके बाद ही एफएचसी आईओसी काग्रेस को पसंदीदा मेजबान देश की सिफारिश करेगा। उन्होंने कहा कि 2036 ओलंपिक के लिए मेजबान देश का नाम दो साल बाद ही पता चलने की संभावना है क्योंकि आईओसी ने खुद पूरी प्रक्रिया पर 'रोक' लगाने की घोषणा की है। अय्यर ने कहा, हम इस समय आईओसी के साथ निरंतर बातचीत के दौर में हैं। आईओसी



डब्ल्यूडब्ल्यूई लीजेंड हल्क होगन की मौत कैसे हुई, डॉक्टरों ने बताई बड़ी वजह



दुनिया ने इस लीजेंड को हमेशा के लिए खो दिया था। वैसे कुछ हफ्तों पहले ही ऐसी खबरें चली थीं कि हल्क होगन

दिया था। उस समय तो उनकी पत्नी ने दो टूक कहा था कि उनके पति का दिल काफी मजबूत है और वे अपनी सर्जरी से उबर रहे हैं। **भावुक हुए फैंस** हल्क होगन का जाना सिर्फ रसलिंग की दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति नहीं है बल्कि एक पूरी पीढ़ी उन्हें देखते हुए बड़ी हुई है, जिन्होंने अपने टीवी पर होगन को रसलिंग करते हुए देखा, उन्हें कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखा है। सोशल मीडिया इस समय श्रद्धांजलि के मैसेजों से

पट चुका है, हर कोई इस दिग्गज को नम आंखों से विदा कर रहा है।

कौन थे हल्क होगन? हल्क होगन के करियर ती बात करें तो वह 80 के दशक से रसलिंग की दुनिया में सक्रिय हो चुके थे, फैंस तो उन्हें रियल लाइफ सुपरहीरो मानने लगे थे। उनका पीले-लाल रंग का कॉस्ट्यूम एक अलग ही पहचान बन चुका था। उन्होंने अपने करियर में इतने मैच जीते कि उन्हें 'हल्कमैनिया' का तमगा भी दिया गया।